State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment Forest & Climate Change)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No: 1216 / SEIAA/2019
Date: 20.6.19

कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum)

भारत सरकार वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की EIA अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति हेतु MP-SEIAA द्वारा जारी पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 4253 / एप्को / SEIAA/15 दिनांक 03.08.2015 एवं क्र. 5706 / SEIAA / 2015 दिनांक 22.09.2015 को विलोपित करते हुये निम्नानुसार संशोधित मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. सभी आवेदक पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत कंपनी होने पर संस्था के पंजीकरण के अभिलेख (Memorandum of Article/Memorandum of Association) संयुक्त उद्यम अनुबंध (Joint Venture Deed), साझेदारी अनुबंध (Partnership Deed) की स्वसत्यापित प्रति, तथा ऐसी संस्था की ओर से आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति के संकल्प की प्रति जमा करनी होगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म में प्रदान की गई जानकारी / अभिलेखों की सत्यता संबंधी एवं प्रोजेक्ट स्थल पर निर्माण / गतिविधि कार्य प्रारम्भ हुआ या नहीं, के संबंध में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र / शपथ पत्र (शपथ पत्र का प्रारूप–**परिशिष्ट–1 अ अथवा ब**)
3. ऑन–लाईन आवेदन स्वीकृति के पश्चात 15 दिवस के भीतर अनिवार्यतः समस्त सभी अभिलेखो एवं दस्तावेजों के साथ हार्डकॉपी कार्यपालन संचालक, एप्को, भोपाल के नाम से SEIAA द्वारा निर्धारित प्रक्रिया शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट (Payable at Bhopal) के माध्यम से जमा करें अथवा सिया द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जाने वाला संशोधित प्रक्रिया शुल्क जमा करना होगा।
4. सिया / सेक में प्रस्तुतिकरण के दौरान सभी परियोजना प्रस्तावक / आवेदक आवश्यक रुप से समस्त अभिलेखो की मूल प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति सहित उपस्थित हो तथा आवश्यकतानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन में सही पूर्ण वर्तमान सम्पर्क पता पिनकोड सहित, ई–मेल एवं मोबाइल नं. / फोन नं. अकिंत किया जाये तथा आवेदन की हार्डकापी के साथ कोई मान्य पहचान–पत्र / आई.डी. की प्रति भी संलग्न करें।

6- Registered Qualified Person (RQP) द्वारा गौण खनिजों के प्रकरणों में सिया / सेक में प्रस्तुतीकरण हेतु अपनी सहमति का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। **(परिशिष्ट–2)**

7- परियोजना प्रस्तावक आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक शपथ–पत्र रू. 10 / – के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर जमा करे।

8- SEIAA में हार्ड कॉपी जमा करने के समय Online Acceptance की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करे।

9. परियोजना प्रस्तावक MOEF&CC, GoI द्वारा TOR / Environmental Clearance एवं उनके Amendment / Extension of Validity / Transfer आदि हेतु MoEF&CC, GoI के OM दिनांक 11.06.2019 द्वारा निर्धारित किये गए फार्म–1 से फार्म–8 में प्रक्रिया अनुसार

ऑनलाईन/हार्ड कॉपी में आवेदन जमा करें अथवा MoEF&CC द्वारा समय–समय पर संशोधित किए जाने वाले प्रारुप / फार्म में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन/हार्ड कॉपी में आवेदन जमा करें।

अ. खनन गतिविधियों 1(a) से संबंधित

क._ – गौण खनिज

माइनिंग के गौण खनिजों की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा EIA नोटिफिकेशन 14.09.2006 तथा समय–समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार निर्धारित प्रारूप–1 **(फार्म–2)** में आनॅलाइन आवेदन MoEF&CC, GoI की वेबसाइट/परिवेश पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :–

1. EIA नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोजेक्ट की प्रिफीजिबिलिटी रिपोर्ट **(Pre Feasbility Report) |**
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान (अनुमोदन पत्र के साथ) ।
3. रेत खदानों के प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित Replenishment Plan सहित माइनिंग प्लान (अनुमोदन पत्र के साथ) ।
4. Registered Qualified Person (RQP) द्वारा तैयार की गई पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) |
5. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत माइनिंग लीज के स्वीकृति आदेश की नोटराइज्ड प्रति प्रस्तुत करेंगे। लीज स्वीकृति आदेश के साथ में संबंधित कलेक्टर/संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म /सक्षम प्राधिकारी से निम्न बिन्दुओं की जानकारी संबंधित विभागो से प्राप्त कर उक्त आदेश में सम्मिलित की जावेगी। **यदि लीज आदेश पूर्व का है तो निम्न जानकारी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**
   - (i) यदि खनिपट्टे से 10 कि.मी. की दूरी में कोई नेशनल पार्क/टाइगर रिज़र्व/बायोस्फियर रिजर्व/अभ्यारण्य/इको सेंसेटिव जोन स्थित है तो उक्त आदेश में उनकी दूरी स्पष्ट करेंगे और नहीं होने की स्थिति में यह भी स्पष्ट करेंगे कि ऐसा कोई क्षेत्र 10 कि.मी. की दूरी में नहीं है। संबंधित DFO / Field Director द्वारा अभिप्रमाणित जानकारी अथवा जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित एकल प्रमाण पत्र में उल्लेख हो।
   - (ii) यदि खनि पट्टा क्षेत्र की 10 कि.मी. की दूरी में नेशनल पार्क/टाइगर रिज़र्व/अभ्यारण्य स्थित है तथा जहां इको सेंसेटिव जोन अधिसूचित नहीं हुआ है, ऐसे प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नेशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनापत्ति प्राप्त की जाना होगी तथा परियोजना प्रस्तावक नेशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड में आनॅलाइन आवेदन कर उसकी प्रति लगाते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये SEIAA को आवेदन के साथ संलग्न करेगें।
   - (iii) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पारिस्थितिकीय सवेदंनशील जोन (Eco Sensitive Zone) से प्रस्तावित स्थल की दूरी का संबंधित DFO / क्षेत्र सचांलक (राष्ट्रीय उद्यान/टाईगर रिजर्व/वन्यजीव अभ्यारण) से सत्यापित प्रतिवेदन।
   - (iv) खनिपट्टे में कलेक्टर यह भी स्पष्ट करेगें कि उस खनिपट्टे से वन क्षेत्र कितनी दूर है और यदि वह 250 मीटर के अन्दर है तो संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति की प्रति एवं 250 मीटर से बाहर या अधिक होने पर संबंधित DFO/जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित एकल प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(v) खनिपट्टे से 500 मीटर की दूरी पर यदि कोई मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो तो उसकी दूरी। (जिला कलेक्टर/तहसीलदार का पत्र)

(vi) 500 मीटर के अन्दर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर स्थित हो तो उसकी दूरी। (जिला कलेक्टर/तहसीलदार का पत्र)

(vii) स्वीकृत खनि पट्टे के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत खनिपट्टा की जानकारी एवं उसका क्षेत्रफल । (माईनिंग अधिकारी/तहसीलदार का पत्र)

(viii) रेत उत्खनन के प्रकरण में नदी का नाम ।

6. यदि खनिपट्टा वन भूमि पर है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज्ड प्रति।
7. नवीनतम खसरा पंचसाला (P-II Form) खसरा नक्शा की अभिप्रमाणित प्रति सहित।
8. ग्राम पंचायत / ग्राम सभा का उत्खनन हेतू अनापत्ति प्रमाण – पत्र।
9. आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ की आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित/नोटराइज्ड प्रति जमा की जायेगी, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (District Survey Report) की प्रति।
11. परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार/RQP द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारियों की हस्ताक्षरित चेक लिस्ट जमा करें। **(परिशिष्ट–4 स)**

ऑनलाइन फार्म स्वीकृति के उपरांत फार्म–2/ फार्म–1 तथा उपरोक्त सभी दस्तावेजों की हार्ड कापी एवं सॉफ्ट कापी SEIAA कार्यालय में जमा किए जायेंगे।

ख.– मुख्य खनिज

माइनिंग के मुख्य खनिजों की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा EIA नोटिफिकेशन 14.09.06 तथा समय–समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार निर्धारित प्रारूप **(फार्म–1)** में आनॅलाइन आवेदन MoEF&CC, GoI की website http://www.environmentclearance.nic.in के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगाः–

1. EIA नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोजेक्ट की प्रिफीजिबिलिटी रिपोर्ट (Pre Feasbility Report)।
2. ऐसे उत्खनन क्षेत्र जो उन जिलो **(परिशिष्ट -3)** की तहसीलों में स्थित है जहां अर्न्तराज्यीय सीमा लगती है, वहां आवेदक द्वारा माइनिंग क्षेत्र से अर्न्तराज्यीय सीमा की दूरी गूगल मैप के साथ (परियोजना स्थल के कोअर्डिनेट्स दर्शाते हुए) स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र/शपथ पत्र अथवा तहसीलदार/लोक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान **(अनुमोदन पत्र के साथ)**।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत माइनिंग लीज के स्वीकृति के आदेश की नोटराइज्ड प्रति प्रस्तुत करेंगे।
5. परियोजना स्थल से वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार चिन्हित संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) जैसे नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/बायोस्फियर रिजर्व/टाईगर रिजर्व की दूरी के संबंध में सक्षम अधिकारी (वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी/क्षेत्र संचालक) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/नोटराईज्ड प्रति।
6. यदि खनि पट्टा क्षेत्र की 10 कि.मी. की दूरी में नेशनल पार्क/टाइगर रिज़र्व/अभ्यारण्य स्थित है तथा जहां इको सेंसेटिव जोन अधिसूचित नहीं हुआ है, ऐसे प्रकरण में

परियोजना प्रस्तावक द्वारा नेशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनापत्ति प्राप्त की जाना होगी तथा परियोजना प्रस्तावक नेशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड में आनॅलाइन आवेदन कर उसकी प्रति लगाते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये SEIAA को आवेदन के साथ संलग्न करेगें।

7. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत चिन्हित अधिसूचित पारिस्थितिकीय सवेंदनशील जोन (Eco Sensitive Zone) से प्रस्तावित स्थल की दूरी का संबंधित DFO / क्षेत्र सचांलक (राष्ट्रीय उद्यान/टाईगर रिजर्व/वन्यजीव अभ्यारण) से सत्यापित प्रतिवेदन।
8. परियोजना स्थल से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा नोटिफाइड क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया (Critically Polluted Area) की दूरी के संबंध में सक्षम अधिकारी (संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की नोटराईज्ड प्रति। उक्त जानकारी **केवल इंदौर एवं सिंगरौली जिलों** में स्थित प्रकरणों हेतु आवश्यश्क है।
9. खनिपट्टे से वन क्षेत्र की दूरी और यदि वह 250 मीटर के अन्दर है तो संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति / प्रतिवेदन की प्रति।
10. यदि खनिपट्टा वन भूमि पर है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज्ड प्रति।
11. आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ की आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित/नोडराइज्ड प्रति जमा की जायेगी, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. नवीनतम खसरा पंचसाला (P-II Form) खसरा नक्शा की अभिप्रमाणित प्रति सहित।
13. परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार/RQP द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारियों की हस्ताक्षरित चेक लिस्ट जमा करें। **(परिशिष्ट–4 स)**

ऑनलाइन फार्म स्वीकृति के उपरांत फार्म–1 तथा उपरोक्त सभी दस्तावेजों की हार्ड कापी एवं सॉफ्ट कापी SEIAA कार्यालय में जमा किए जायेंगे।

ब. भवन निर्माण 8(a) एवं एरिया डेव्हलपमेंट 8(b) गतिविधियों से संबंधित

EIA नोटिफिकेशन तथा समय–समय पर दिये गये उसके संशोधनों में निर्धारित प्रारूप **फार्म–1** तथा **फार्म–1A** में आनलाइन आवेदन पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :–

1. कॉनसेप्ट प्लान (Concept Plan)।
2. आवेदक द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ले आउट प्लान की प्रति।
3. परियोजना स्थल के भूमि स्वामित्व संबधी दस्तावेज (सेल/लीज डीड नवीनतम खसरा पंचशाला) की स्वप्रमाणित/नोटराइजड प्रति।
4. नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत/केन्द्रीय भूजल अथॉरिटी से जल प्रदाय संबंधी अनुमति।
5. नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत से ठोस अपशिष्ट (MSW / Bio Medical Waste/hazardous waste) के व्यवस्थापन (disposal) संबंधी अनुमति ।
6. नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत से Treated Waste Water के व्यवस्थापन (Disposal) संबंधी अनुमति ।
7. आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ की आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित/नोडराइज्ड प्रति जमा की जायेगी, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारियों की हस्ताक्षरित चेक लिस्ट जमा करें। **(परिशिष्ट–4 अ)**

आनॅलाइन फार्म स्वीकृति के उपरांत EC के फार्म 2 एवं फार्म 1–A तथा ToR के लिए फार्म–1 & 1A की उपरोक्त सभी दस्तावेजों की हार्ड कापी एवं सॉफ्ट कापी SEIAA कार्यालय में जमा किए जायेंगे।

स. नोटिफिकेशन (EIA) के शेड्यूल में वर्णित अन्य सभी गतिविधियों (1(b), 1(c), 1(d) तथा 2 से 7 तक) से संबंधित (खनन गतिविधियों 1(a), भवन निर्माण 8(a) एवं एरिया डेव्हलपमेंट 8(b) को छोड़कर)

EIA नोटिफिकेशन तथा समय–समय पर दिये गये उसके संशोधनों में निर्धारित प्रारूप **फार्म–1** में आनलाइन आवेदन MoEF&CC की वेबसाइट के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :–

1. EIA नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोजेक्ट की प्रीफीजिबिलिटी रिपोर्ट **(Pre Feasbility Report)** I
2. ऐसे परियोजना स्थल जो उन जिलों **(परिशिष्ट–3)** की तहसीलों में स्थित है जहां अर्न्तराज्यीय सीमा लगती है, वहां आवेदक द्वारा परियोजना स्थल से अर्न्तराज्यीय सीमा की दूरी (05/10 कि.मी. EIA Notification अनुसार जो भी लागू हो) गूगल मैप के साथ (परियोजना स्थल के कोआर्डिनेट्स दर्शाते हुए) स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र शपथ पत्र अथवा तहसीलदार/लोक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
3. परियोजना स्थल से संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) जैसे नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/टाईगर रिजर्व, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चिन्हित इको सेंसेटिव जोन की दूरी (05/10 कि.मी. EIA Notification अनुसार जो भी लागू हो) के संबंध में सक्षम अधिकारी (वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/नोटराईज्ड प्रति।
4. यदि परियोजना क्षेत्र की 10 कि.मी. की दूरी में नेशनल पार्क/टाइगर रिज़र्व/अभ्यारण्य स्थित है तथा जहां इको सेंसेटिव जोन अधिसूचित नहीं हुआ है ऐसे प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नेशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड में आनॅलाइन आवेदन कर उसकी प्राप्ति रसीद की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
5. परियोजना स्थल से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा नोटिफाइड क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया (Critically polluted Area) की दूरी के संबंध में सक्षम अधिकारी (संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की नोटराईज्ड प्रति। उक्त जानकारी **केवल इंदौर एवं सिंगरौली जिलों** में स्थित प्रकरणों हेतु आवश्यश्क है।
6. भूमि स्वामित्व के दस्तावेज जैसे खसरा पंचशाला, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटन आदेश, लीज डीड/एग्रीमेंट की नोटराइजड प्रति, यदि परियोजना नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है तो परियोजना स्थल को चिन्हित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र के नक्शे की नोटराइजड प्रति।
7. यदि परियोजना स्थल वन भूमि पर है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज्ड प्रति।
8. नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत/ औद्योगिक क्षेत्रीय विकास निगम/केन्द्रीय भूजल अथॉरिटी से जल प्रदाय संबंधी अनुमति।

9. ठोस अपशिष्ट (MSW/Bio Medical Waste/Hazardous Waste) के व्यवस्थापन (disposal) हेतु अनुमति।
10. Treated waste water के व्यवस्थापन (disposal) संबंधी अनुमति।
11. आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ की आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित/नोडराइज्ड प्रति जमा की जायेगी, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारियों की हस्ताक्षरित चेक लिस्ट जमा करें। **(परिशिष्ट–4 ब)**।

आर्नलाइन फार्म स्वीकृति के उपरांत फार्म–1 तथा उपरोक्त सभी दस्तावेजों की हार्ड कापी एवं सॉफ्ट कापी SEIAA कार्यालय में जमा किए जायेंगे।

नोट :–उपरोक्त बिन्दु क्र. 2 एवं 3 की जानकारी उन परियोजनाओं के लिए आवश्यक नहीं है जो कि नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है।

पर्यावरणीय स्वीकृति अंतरण/हस्तांतरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की EIA अधिसूचना 2006 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति अंतरण/हस्तांतरण प्रकरण में निम्न जानकारी/अभिलेख जमा करने होगें :–

1. परियोजना प्रस्तावक का पर्यावरणीय स्वीकृति अंतरण/हस्तांतरण हेतु आवेदन–पत्र।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के हस्तांतरण संबंधी जारी समस्त अभिलेख।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
4. परियोजना प्रस्तावक (जिसके नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित की जानी है) द्वारा रू. 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर **परिशिष्ट–5** दिये गये प्रारूप पर नोटिराइज्ड शपथ–पत्र।
5. परियोजना प्रस्तावक जिसके नाम से पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी है उसके द्वारा रु 100/– के नाम ज्यूडिशियल स्टाम्प पर **परिशिष्ट–6** पर दिए गए प्रारूप में नोटराइज्ड अनापत्ति शपथ पत्र।

(जितेन्द्र सिंह राजे)
सदस्य सचिव, SEIAA

पृ. क्र. **/SEIAA/2019** भोपाल दिनांक

1. सभी संबंधित
2. अध्यक्ष / सदस्य SEIAA, राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल
3. सभी अधिकारी SEIAA एवं SEAC भोपाल
4. गार्ड फाईल
5. MPSEIAA बेवसाईट

(जितेन्द्र सिंह राजे)
सदस्य सचिव, SEIAA

AFFIDAVIT

(for Building Construction, Area Developemnt, River Valley, Industrial & other Projects)

I..Residence.. ...., of ....Project at Vill-............................., Teh- ...., Dist-.................................., Khasra No. ...., Area ....ha./sq.m do hereby solemnly affirm and declare as under:-

"There is no litigation pending against the project .... and/or land in which the project is proposed and that for any such litigation, whatsoever, the sole responsibility will be borne by Project Proponent",

There is no construction / production activity pertaining to this project undertaken at the project site.

I hereby give an undertaking that the data and information given in the application and enclosures for environmental clearance are true to the best of my knowledge and belief without concealing any fact and I am aware that if any part of data and information submitted is found to be false or misleading at any stage the project will be rejected and clearance given, if any to the project will be revoked at our risk and cost"."

Signature of Deponent

VERIFICATION

Verified at ....on this .... 2019 that the contents of the accompanying affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part thereof is false and nothing material concealed there in.

Signature of Deponent

AFFIDAVIT
(for Mining Projects)

I..,Residence.. .... of...............................mining lease project at Vill-..........................., Teh-..............................., Dist-................................, Khasra No. ...., Area ....ha. do hereby solemnly affirm and declare as under :-

I hereby give an undertaking that the data and information given in the application and enclosures for environmental clearance are true to the best of my knowledge and belief without concealing any fact and I am aware that if any part of data and information submitted is found to be false or misleading at any stage the project will be rejected and clearance given, if any to the project will be revoked at our risk and cost"."

Signature of Deponent

VERIFICATION

Verified at ....on this .... 2019 that the contents of the accompanying affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part thereof is false and nothing material concealed there in.

Signature of Deponent

परिशिष्ट–2

Affidavit of Registered Qualified Person/Environmental Consultant

I .... do hereby authorize on behalf of Project Proponent of proposed project for environmental clearance of ....to prepare all documents of our EC proposal on factual data and present the case after proper investigation/examination of the area in front of SEAC/SEIAA. I assure to confirm that the any decision taken by committee/ authority regarding environmental clearance shall be binding on us.

Signature & Name of Project Proponent

Mobile No.

Signature & Name of RQP/Environment Consultant

Mobile No.

List of Blocks link/ connected with Interstate Boundaries

S. No.	Madhya Pradesh	Interstate Boundary	Tehsil/ Blocks
	Districts	State	
1.	Ashoknagar	UP	Chanderi (B), Mungaoli (B), Issagarh (B)
2.	Alirajpur	G	Blocks / Tehsil adjacent to inter state boundary
3.	Anuppur	CG	Pushprajgarh (B), Jaithari (B), Anuppur (B), Kotma (B)
4.	Balaghat	MH/CG	Kherlanji (B), Katangi (B), Langi (B), Birsa (B), Kirnapur (B)
5.	Barwani	MH	Pansemal (B), Sendwa (Block), Newali (B)
6.	Betul	MH	Bhansdehi (B), Aathner (B), Prabhatpattan (B)
7.	Bhind	UP	Ater (B), Bhind (B), Lahar (B), Mihona (B)
8.	Burhanpur	MH	Khaknar (B), Burhanpur (B)
9.	Chhatarpur	UP	Laundi (B), Goorihar (B), Naogaon (B)
10.	Chhindwara	MH	Sausar (B), Pandurana (B), Bichhuwa (B)
11.	Datia	UP	Seondha, Bhander
12.	Dindori	CG	Karangia (B)
13.	Guna	RJ	Blocks / Tehsil adjacent to inter state boundary
14.	Jhabua	G	-
15.	Khandwa	MH	Blocks / Tehsil adjacent to inter state boundary
16.	Khargone	MH	Jhiriya (T), Bhagwanpura (T)
17.	Mandsaur	RJ	Blocks / Tehsil adjacent to inter state boundary
18.	Morena	UP, RJ	Sabalgarh, Jaura, Morena, Ambad, Posa,
19.	Neemuch	RJ	Blocks / Tehsil adjacent to inter state boundary
20.	Panna	UP	Ajaigarh
21.	Rajgarh	RJ	Blocks / Tehsil adjacent to inter state boundary
22.	Ratlam	RJ	Blocks / Tehsil adjacent to inter state boundary
23.	Rewa	UP	Teondhar, Hanumana
24.	Sagar	UP	Blocks / Tehsil adjacent to inter state boundary
25.	Satna	UP	Majhgawan
26.	Seoni	MH	Blocks / Tehsil adjacent to inter state boundary
27.	Seopur	RJ	Blocks / Tehsil adjacent to inter state boundary
28.	Shahdol	CG	Blocks / Tehsil adjacent to inter state boundary
29.	Shivpuri	UP	Blocks / Tehsil adjacent to inter state boundary
30.	Sidhi	UP/ CG	Siwahal, Kusmi
31.	Singrauli	UP/ CG	Chitrangi, Waidhan
32.	Tikamgarh	UP	Tikamgarh, Palera, Niwari, Prithvipur, Jatara

Note: B: Block; T: Tehsil

CHECK LIST

Application for Environmental Clearance in SEIAA for Building and Construction Project (8 (a) & 8 (b)

S.No.	Documents Required	Page No.	Annexure No
01	Affidavit of undertaking regarding information/data originality		
02	Covering letter for submission of hardcopy		
03	Form-2 (duly signed) for EC application & Form 1 (duly signed) for ToR application		
04	Form 1A Complete & duly signed		
05	Proposed TOR (if applicable)		
07	Conceptual Plan		
08	Declaration by PP regarding construction/development activities already undertaken at the project site		
09	Layout Plan to be submitted to T & CP for approval/approved layout plan.		
10	Land Ownership documents- lease deed/sale deed/allotment order Khasra Panchsala/ Khasra Map (Notarized copy)		
11	NOC for Water Requirement from CGWA/Municipal body		
12	NOC for disposal of Municipal Solid Waste		
13	NOC for disposal of extra treated waste water		
14	Application for wildlife clearance /clearance from standing committee of the National Board for Wildlife to the competent Authority and a copy of their application if wildlife clearance, applicable to the project.		
15	Copy of acceptance letter generated after acceptance by SEIAA.		
16	Soft copy (CD) of all document		
17	DD No.: date: Bank Details:		

Note – All documents of application should be given in proper binding and page numbering with Signature of PP

Signature :

Accredited Consultant :

Mob. No. :

Signature :

Name of PP :

Mob. No. :

CHECK LIST

Application for Environmental Clearance in SEIAA for other than Building and Construction Project

S.No.	Documents required	Page No.	Annexure No.
01	Affidavit of undertaking regarding information/data originality		
02	Covering letter for submission of hardcopy		
03	Form II (duly signed)		
05	Proposed ToR		
06	Pre-feasibility Report		
07	Declaration by PP regarding construction/development activities already undertaken at the project site		
08	A letter from Chief Wildlife Warden indicating distance of the project site from the Protected Areas (PAs) viz., National Park, Sanctuary, Tiger Reserve as per Wildlife Protection Act 1972		
09	A letter from Collector/ Executive Engineer PWD of the concerned district indicating distance of the project site from Interstate Boundary		
10	A letter from Collector of the concerned district indicating distance of the project site from the Critically Polluted Area for the projects related to S.No. 1 to 7 of the schedule of EIA notification 2006.		
11	Land Ownership documents- lease deed/sale deed/allotment order Khasra Panchsala/ Khasra Map (Notarized copy)		
12	NOC for Water Requirement from CGWA/Municipal body/AKVN		
13	Copy of acceptance letter generated after acceptance by SEIAA.		
14	Soft copy (CD) of all documents		
15	DD No. dated Bank Details		

Note – All documents of application should be given in proper binding and page numbering with Signature of PP

Signature :

Accredited Consultant :

Mob. No. :

Signature :

Name of PP :

Mob. No. :

CHECK LIST

Application for Environmental Clearance in SEIAA for Mining Projects

S.No.	Required Doucments List	Page No.	Annexure No.
01	Affidavit of undertaking regarding information/data originality		
02	Form-2 (duly signed) for EC application & Form-1 (duly signed) for ToR application		
03	Proposed ToR (In case of major minerals)		
04	Pre Feasibility Report (PFR)		
05	DFO / Forest Officer letter / information reg. distance of National Park / Sanctuary/ Eco-Sensitive zone		
06	DFO / Forest Officer letter / information reg. distance of nearest Forest Boundary.		
07	Revenue Officer letter / information reg. distance of Interstate Boundary		
08	Appendix-1 duly signed by Tehsildar / Revenue Officer with dispach No. & Date (In prescribed Format of MP SEIAA)		
09	Letter from District Collector Office regarding sanction of lease.		
10	NOC of Gram Panchayat/Gram Sabha		
11	Approved Mining Plan by DGM / Regional Officer		
12	Environmental Management Plan prepared by RQP		
13	Letter from District Mining Officer/Revenue Officer regarding details of other mines within 500 metres distance from the periphery of proposed mining site		
14	Khasra Panchshala and Khasra map		
15	District Survey Report (DSR)		
16	Soft Copy (CD) of all documents		
17	DD No.: dated: Bank Details:		

Note–All documents of application should be given in proper binding and page numbering with Signature of PP

Signature :

Accredited Consultant/RQP :

Mob. No. :

Signature :

Name of PP :

Mob. No. :

AFFIDAVIT

I ...., Aged .... Sarpanch and Resident of ...., Solemnly committing the following, on behalf .... Gram Panchayat.

1. That the Govt. of MP has transferred .... ha. .... mining lease located at Khasra No. .... Vill-................................., Teh-......................................,Dist-......................................, In favour of Gram Panchayat from .... vide letter No. ....
2. That the MP SEIAA has accorded Prior Environmental Clearance to the mine in Case No. .... vide letter No. .... dated.. .
3. That we are committed to comply all the conditions stipulated to the Prior Environmental Clearance issues vide letter No. .... dated ....
4. That there is no legal action / credible action is initiated against the mine till date.

Signature of Deponent

VERIFICATION

I solemnly that information given above from Pare 1 to 4 are true to my knowledge and trust worthy.

Date :

Place :

Signature of Deponent

शपथ पत्र

मैं परियोजना प्रस्तावक श्री ....आत्मज श्री .... उम्र...............वर्ष निवासी.................................. ग्राम................................ तहसील......................... जिला............................ द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मुझे .... खदान रकबा .... .हे. खसरा नं. ....ग्राम.................तहसील........................जिला.......................... उत्पादन क्षमता...................घनमीटर प्रतिवर्ष आदेश क्र. ....दिनांक ....से अवधि दिनांक .... से ....तक के लिये स्वीकृत की गई, जिसकी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति SEIAA द्वारा प्रकरण क्र. .... में पत्र क्र. ....दिनांक ... .के माध्यम से प्रदान की गई थी। उक्त .... खदान को म.प्र. शासन के आदेश क्र. ....दिनांक .... के परिपालन में .... (परियोजना प्रस्तावक) को हस्तांतरित किये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई भी वैधानिक आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त .... खदान की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है एवं मेरे द्वारा किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया गया है तथा उक्त .... खदान से संबंधित कोई भी वाद/विवाद एवं प्रकरण न्यायालय/अधिकरण में प्रचलन में नहीं है।

हस्ताक्षर

परियोजना प्रस्तावक का नाम.................

पता ....

मोबाईल नं. ....